सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांकः 464 / सो.आ.नि.– 312 / 2014
दिनाँकः 19 नवम्बर, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः सोशल आडिट के दौरान प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, सोशल आडिट ग्रामसभा में निष्पक्ष पर्यवेक्षक की उपस्थिति तथा यथा आवश्यक टेस्ट आडिट कराया जाना।

महोदय,

सोशल आडिट की प्रगति समीक्षा हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 में भारत सरकार ने निम्नवत अपेक्षा की हैः–

(क) ग्राम पंचायतों में टीमों द्वारा सोशल आडिट के दौरान ग्रामजनों द्वारा की गई शिकायतों को चिन्हित किया जाए और ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा उन्हें लिखित रूप से प्राप्त करते हुए उसकी दिनांकित रसीद शिकायतकर्ता को दी जाए। तदोपरान्त सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठक में शिकायतों के निवारण हेतु संबंधित अधिकारी / पक्ष द्वारा की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता को संसूचित किया जाना चाहिए।

(ख) सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठकों में जिलाधिकारी द्वारा निष्पक्ष पर्यवेक्षकों की उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ग) किसी ग्राम पंचायत में संपन्न हुए सोशल आडिट में शिथिलता अथवा अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हों तो किसी अन्य ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के सहयोग से सोशल आडिट टीम के सदस्यों में से उत्कृष्ट सदस्यों की टीम बनाकर उपयुक्त तिथि निर्धारित करते हुए विशेष टेस्ट चेक सोशल आडिट कराएं। उपर्युक्त के साथ–साथ प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक ग्राम पंचायत, जिसमें सोशल आडिट संपन्न हुआ हो, में टेस्ट चेक आडिट कराया जाए। टेस्ट चेक आडिट के उपरान्त यदि पूर्व सोशल आडिट में गंभीर अनियमितताओं का नजरअंदाज किया जाना दृष्टिगोचर हो तो अग्रेतर वांछित कार्यवाही दोषी ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर / टीम के सदस्यों के विरुद्ध किया जाना आवश्यक होगा।

Arun DT

आपसे अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार सोशल आडिट के दौरान प्राप्त शिकायतों के निवारण, सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठक में निष्पक्ष पर्यवेक्षकों की उपस्थिति तथा ''टेस्ट चेक आडिट'' हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः– 464 / सो0आ0नि0–312 / 2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

(शंकर सिंह)
निदेशक।

Arun DT